

२५.१.२५

आज पत्रावली पेश हुई। सायल व उनके वकील
उप. नहीं। कई बार आवाज लगाई गई परन्तु फिर
भी उप. नहीं। अतः प्र. पत्र सायल अदम हाजिरी
व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दारिखत दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अली (धौलपुर) राज.

